न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 3/2023

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री गोपाल सांखला पुत्र श्री रामचरण सांखला निवासी विजयनगर रोड प्राईवेट बस स्टेशन के सामने नगर परिषद ब्यावर पुलिस थाना ब्यावर

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री अब्दुल सादीक, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 07.02.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.12.2022 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार घरेलू/व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग रोकने के अभियान के तहत श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के हमराह श्री अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सुभाष उघान के सामने, विजयनगर रोड पर श्री गोपाल सांखला पुत्र श्री रामचरण सांखला की गैस स्टॉव रिपेयरिंग व टेंट हाउस की दुकान पर पहुँचकर जॉच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गयी। मौके पर श्री गोपाल सांखला उपस्थित मिलें तथा इनके पास छः बडे 19.0 किग्रा क्षमता के व्यावसायिक सिलेण्डर भण्डारित पाये गये। उक्त गैस सिलेण्डरो के संदर्भ में उपभोक्ता डायरी, बिल वाचर एवं भण्डारण का कारण एवं भण्डारण के संदर्भ में कोई अनुज्ञा पत्र अनुमति सबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य श्री गोपाल सांखला द्वारा प्रस्तुत नही किये। इस प्रकार व्यवसायिक गोपाल सांखला द्वारा सघन आबादी के रिहायसी क्षैत्र में स्थित स्वयं की दुकान पर गैस सिलेण्डरो का अवैध रूप से

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

भण्डारण किया जा रहा था जो कि मानव जीवन के लिए अत्यत घातक एवं दुर्घटना की प्रबल संभावना कारक होना पाया गया । अप्रार्थी श्री गोपाल सांखला द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 6 की अवहेलना होने के कारण 06 व्यावसायिक एल.पी.जी सिलेण्डरो को राजहित में जब्त किया गया । मौके पर डांगी गैस सर्विस, ब्यावर के कार्मिक श्री छगन लाल पुत्र श्री खरताराम को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर निम्न सिलेण्डर पाये गए ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	72380–S	IOCL(UNSEALED)	19.4	19.4	0
2	063850–S	IOCL(UNSEALED)	19.1	31.1	12.0
3	114986–J	HPCL(UNSEALED)	19.1	19.1	0
4	008696–T	HPCL(UNSEALED)	19.3	19-3	0
5	003869–S	HPCL(UNSEALED)	19.2	19-2	0
6	01077–B	HPCL(UNSEALED)	19.5	30.5	11
Total			115.6	138.6	23

को कब्जेराज लिया गया। जब्त सिलेण्डरो को डागी गैस सर्विस ब्यावर के कार्मिक श्री छगन लाल पुत्र श्री खरताराम को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुद्वा 06 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय 23 किलोग्राम एल.पी.जी को राजसात करने के आदेश फरमावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित। उभय पक्ष को सुनवाई चाहने पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 25.12.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। अतः कब्जेराज लिये गये 06 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों एवं 23 किलोग्राम एल.पी.जी को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया दिनांक 25.12.2022 को कार्यवाही की गई है आवश्यक वस्तु अधिनियम की जानकारी नहीं थी मेरे द्वारा कार्य किया व अज्ञानता वंश किया गया अतः प्रकरण में बरी करे ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। श्री गोपाल सांखला पुत्र श्री रामचरण सांखला की गैस स्टॉव रिपेयरिंग व टेंट हाउस की दुकान पर पहुँचकर जॉच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गयी। मौके पर श्री गोपाल सांखला उपस्थित मिलें तथा इनके पास छः बडे 19.0 किग्रा क्षमता के व्यावसायिक सिलेण्डर भण्डारित पाये गये। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 25.12.2022 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 06 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों एवं 23 किलोग्राम एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर